

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक-

/जि0का0अ0/आ0वा0का0/सहा0चयन पत्रा0/दिनांक-

11/11/2025

प्रेस विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025 /3313 (1)/58-1-2025 दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर के शहर/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के मानदेय (संविदा) पर आधारित निम्न विवरण के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साईट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनवाडी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण	आंगनवाडी सहायिका के रिक्त पदों का विवरण
1	शहर	शहरी	15	31
2	बिसरख	ग्रामीण	15	64
3	दनकौर	ग्रामीण	13	65
4	दादरी	ग्रामीण	09	59
5	जेवर	ग्रामीण	02	21
		योग	54	240

उपरोक्त रिक्तियों का ग्रामसभा/वार्डवार, आरक्षण एवं अन्य अर्हता का विस्तृत विवरण विभागीय वेब साईट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है एवं जनपद में कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

पद की मुख्य-मुख्य अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- 1-विज्ञापित पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
- 1-शैक्षिक योग्यता- आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
- 2-आयुसीमा- (1) आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु के सम्बन्ध में कट ऑफ डेट का निर्धारण 01 जुलाई 2025 होगा।
(11) आयु के सम्बन्ध में आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के लिए हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
- 3- आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पद की ग्रामसभा एवं शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। ग्रामसभा में पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में सम्बन्धित न्यायपंचायत में से निर्धारित वरीयतानुसार चयन किया जायेगा।
- 4-विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- 5-तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- 6-आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-आ0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा, जिसका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
- 7-सर्वप्रथम गरीबी रेखा के अन्तर्गत आयसीमा में से वरीयतानुसार चयन किया जायेगा। गरीबी रेखा से निचे की आयसीमा के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में वरीयतानुसार गरीबी रेखा से उपर की आयसीमा से चयन किया जायेगा।

(Handwritten signature)

8- निवास एवं जाति प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

9- कोई भी आवेदन ऑफलाइन एवं डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य /आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

9-दिनांक 12-11-2025 से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं। विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 03-12-2025, मध्यरात्रि 12.00 बजे तक होगी।

10- उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र/सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय स्थित विकास भवन, कमरा न0-110, भूतल सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के मध्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(तरुण कुमार)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रकाशन के लिए नहीं

पृष्ठांकन पत्र संख्या- C-1280 तद् दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0 प्र0 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

3- मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

4-जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को शासकीय दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित कराने का कष्ट करें।

5-समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्त पदों की विस्तृत सूचना तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

6-नाजिर कलैक्ट्रेट एवं नजिर विकास भवन को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

7-कार्यालय प्रति।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।